

# झारखण्ड गजट

# असाधारण अंक

# झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४३

5 माघ 1929 शकाब्द राँची, बुधवार 25 जनवरी, 2006

#### विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 25 जनवरी, 2006

संख्या-एल॰जी॰-14/2005-13/लेज॰--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 जनवरी, 2006 को अनुमति दे चुँके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित क़िया जाता है-- अर्थ के अर्थ के स्थान के स्थित कि स्थान के लिए

### झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 [झारखण्ड अधिनियम 03, 2006]

राज्य के आंतरिक सुरक्षा में सहायता हेतु पुलिस के सहायक के रूप में हवाई हमला, आगजनी, बाढ़, संक्रामक बीमारी आदि जैसी आकर्सिक परिस्थितियों में जनता की सहायता हेतु, आवश्यक सेवाओं यथा परिवहन, पाँगोनियर एवं इंजिनियरिंग सेवाओं, फायर ब्रिगेड, निर्सिंग एवं प्राथिक उपचार, जल एवं विद्युत् आपूर्ति के पुनर्स्थापन इत्यादि हेतु संस्थागत कार्यशील इकाई के रूप में साम्प्रदायिक सौहार्द को व्यवावा देने एवं समाज के कमजोर वर्गों को रंग्रक्षण देने में प्रशासन को सहयोग देने हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों यथा प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, विकास योजनाएँ तथा ऐसे ही अन्य उपयोगी कार्यों के लिए, जहाँ भी आवश्यक समझा जायेगा कि किसी स्वयंसेवक संस्था की सेवा आवश्यक है, इस हेतु झारखण्ड राज्य गृह रक्षक की स्थापना के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

- 1. संक्षिपा नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-
  - (1) यह अधिनियम झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 कहा जा सकेंगा ।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

- (3) अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार, समय-समय यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के सम्पूर्ण या कोई प्रावधान क्षेत्र विशेष में एवं किसी तिथि विशेष से, जैसा कि अधिसूनना में उल्लिखित हो, लागू होंगे तथा इसी प्रकार उस अधिसूचना को रद्द या इसमें संशोधन किया जा सकेगा।
  - u i
- 2. परिभाषाएँ--इस अधिनियम में, जबतक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, (क) ''गृह रक्षक'' से अभिप्रेत है, वैसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नामांकित किया गया है ।
  - (ख) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली में यथा विहित ।

## 3. गृह रक्षकों का विधान--

- (1) अधिनियम की धारा-1 के उपधारा(3) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए राज्य सरकार जैसा विहित हो उस प्रकार से गृह रक्षकों का गठन कर सकेगी जो ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेगा जो लोगों की सुरक्षा एवं जान-माल के संरक्षण हेतु झारखण्ड राज्य के किसी भी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधान और इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अन्तर्गत सौपा गया हो ।
- (2) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, झारखण्ड राज्य का गृह रक्षक एक एकल कोर्स समझा जाएगा और इसके सदस्य औपचारिक रूप से नामांकित होंगे तथा इसमें अधिकारियों एवं व्यक्तियों की संख्या, उनकी अर्हताएँ और प्रशिक्षण एवं सेवा शर्तें वही होगी जैसा कि विहित्त किया जायेगा ।
- (3) गृह रक्षक का नामांकन होने पर, प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करनी होगी और वे द्वितीय अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में विहित पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगा नामांकन प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे । इसके फलस्वरूप प्रमाण-पत्र धारक में गृह रक्षक को प्राप्त शक्तियाँ और सुविधाएँ निहित होंगी ।

# गृह रक्षकों को कर्तव्य पर बुलाना--

उपायुक्त के क्षेत्राधिकार का कोई क्षेत्र जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त है, उपायुक्त किसी भी गृह रक्षक को विहित प्रक्रिया के आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली के संगत कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्तव्य पर बुला सकेंगे ।

# पुलिस पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रण--

धारा-4 के अधीन पुलिस बल के सहयोग हेतु जब एक गृह रक्षक कर्तच्य पर बुलाया जायेगा तो इस तरीके एवं उस हद तक पुलिस पदाधिकारी के नियंत्रण में होगा जैसा विहित किया जायेगा ।

# गृह रक्षकों को प्राप्त शक्तियाँ एवं संरक्षण—

- (1) इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों के आलोक में जब एक गृह रक्षक को धारा-4 के अधीन पुलिस फोर्स के सहायतार्थ कर्तव्य पर बुलाया जायेगा, उसे वही शक्तियाँ, सुविधाएँ एवं संरक्षण हासिल होंगे जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस फराभिकारी के होंगे।
- (2) गृह रक्षक के रूप में कर्तव्य निर्वहन हेतु उसके द्वारा किये गये किसी कार्य या, इस रूप में तात्पर्यित किसी कार्य के विरुद्ध कोई भी अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा, जब तक कि जिला दंडाधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकर में होगगार्ड गिठत हो की पूर्वानुमित प्राप्त न कर ली गई हो ।

#### गृह रक्षकों पर नियंत्रण--7.

किसी भी क्षेत्र के लिए गठित गृह रक्षक पर सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्तित उपायुक्त में निहित होगी और उन्हीं के द्वारा जिला समादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी के सहयोग से लागू की जा सकेगी, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में हो जहाँ गृह रक्षक गठित है । जिला समादेष्टा उक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन किसी विशेष कर्तव्य निर्वहन हेतु विहित पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में एवं राज्य के महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी के सामान्य पर्यवेक्षण में करेंगे।

## सेवावधि एवं सेवामुक्ति--

- (1) इस निमित्त निर्मित नियमावली की शर्तों के अधीन एक गृह रक्षक की चार वर्षों तक के लिए (प्रशिक्षण में बिताई गयी अवधि सहित) राज्य सरकार को सेवा देनी होगी तथा उन्हें किसी भी समय कर्तव्य पर बुलाया जा सकेगा, किन्तु उनकी उम्र 54 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
- (2) उपधारा-1 में विनिर्दिष्ट अविध के समाप्त होने पर प्रत्येक गृह रक्षक, गृह रक्षा वाहिनी से सेवा मुक्ति के योग्य हो जायेगा, परन्तु ऐसा व्यक्ति इस तरह योग्य होने के पूर्व ऐसे पदाधिकारी द्वारा एवं ऐसी शतों के अधीन जैसा विहित किया जाय सेवामुक्त किये जा सकेंगे।
- (3) उपधारा-2 के अधीन अपनी सेवामुक्ति के दस दिनों के अन्दर, गृह रक्षक को प्रदत्त नामांकन प्रमाण-पत्र प्रत्यर्पित करना होगा ।

#### शास्त्रियाँ--

- (1) एक गृह रक्षक के-
  - (क) जब वह धारा-4 के अधीन कर्तव्य पर बुलाने पर स्वयं हाजिर न हो, या
  - (ख) बिना उपयुक्त कारण के कर्तव्य के दौरान किसी भी नियम संगत आदेश या कर्तव्य निर्वहन हेतु उसको दिये गये निदेश के इंकार करने पर या गृह रक्षक संगठन के सदस्य के रूप में कार्य निष्पादन में असफल रहने पर, या
  - (ग) कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर, या
  - (घ) कायरता के दोषी होने पर या उसकी अभिरक्षा के किसी व्यक्ति की अवैध शारीरिक हिंसा करने पर,
  - (ड.) धारा-3 के उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त नामांकन संबंधी प्रमाण-पत्र की दस दिनों के अन्दर समर्पित करने में असफल रहने के दोष सिद्ध किए जाने पर उसे कैंद्र की सजा जिसकी अवधि तीन माह तक बढ़ाई जा सकेगी या जुर्माना जिसे पाँच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों सजा एक ही साथ दी जा सकेगी ।
- (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

#### 10. **वर्दी**--

मृह रक्षक ऐसा वर्षी पहनेगा जैसा कि विहित किया जायेगा ।

# 11. लोक सेवक के रूप में गृह रक्षक--

गृह रक्षक जो इस अधिनियम के अधीन कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45वाँ) की धारा-21 के अर्थ में एक लोक सेवक समझा जाएमा ।

# 12. नियमावली जनाने की शक्तित--

(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशित शर्तों के अध्यधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली बना सकेगी ।

- 4
- (2) खास तौर पर और पूर्वोक्त शक्तियों की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नांकित विषयों में से सभी या किसी का उपबंध या विनियमन किया जा सकेगा, यथा-
  - (क) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित विहित किए जाने वाले सभी मामले ।
  - (ख) गृह रक्षकों के संगठन, नियुक्ति अर्हताएँ, सेवा शर्तें, कर्तव्य, अनुशासन, शस्त्र सज्जा, कपड़ों एवं वर्दी तथा सेवा हेतु उन्हें बलाने या प्रशिक्षण में भेजने संबंधी रीति, और
  - (ग) धारा-6 के अधीन प्रयोज्य किसी शक्ति का गृह रक्षक द्वारा प्रयोग में लाना ।

#### 13. स्थायी आदेश---

तथापि समादेष्ट गृह रक्षा वाहिनी गृह रक्षक बल के दैनानुदिन प्रशासन संबंधी विषयों पर स्थायी आदेश निर्गत कर सकेगा।

#### 14. व्यावृत्ति--

बिहार होगगाई अधिनियम, 1947 के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तितयों के तहत की गई कार्रवाई, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-84 के आलोक में मान्य समझे जायेंगे, मानो उक्त अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त था जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

> झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, राम बिलाश गुप्ता, सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

### प्रथम अनुसूची [देखें, धारा-3 का उपधारा(3)]

पै, पुत्र का निवासी हूँ, शापधपूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मै नामांकन की तिथि से बारह माह की अवधि तक, जिसमें प्रशिक्षण में बितायी गयी अवधि सिमालित है (जिसे राज्य सरकार के निर्णयानुसार बढ़ाया जा सकता है), सच्ची निष्ठा के साध गृह रक्षक के सदस्य के रूप में सेवा करूँगा । मैं पुन: शपधपूर्वक कहता हूँ कि इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों की अवधि तक कर्तव्य पर बुलाये जाने पर कभी भी एवं कहीं भी गृह रक्षक के सदस्य के रूप में सेवा करूँगा । मै अपनी सारी कुशलता एवं ज्ञान के साध गृह रक्षक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा ।

हस्ताक्षर
पता
*************************

#### S

### द्वितीय अनुसूची [देखें, धारा-3 (3)]

#### नामांकन प्रमाण-पत्र हेत्. प्रपत्र

नामपुत्रपुत्र	
भृह पता	
को झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 की धारा-3(3) के अधीन गृह नामांकित किया जाता है । जब विधि के अनुसार कर्तव्य पर हो, उन्हें	
संरक्षण हासिल होंगे, जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधी	
के होंगे।	
	ि तिथि
स्थान	
दिनांक	
विहित पदाधिकारी	का हस्ताक्षर एवं गुहर ।

#### अधिसूचना 25 जनवरी, 2006

संख्या-एल॰ जी॰-14/2005-14/लेज॰-- झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2006 को अनुभत झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा--

# THE JHARKHAND HOME GUARDS ACT, 2005 [JHARKHAND ACT, 03, 2006]

Whereas it is expedient to provide a volunteer organization to serve as an auxiliary to the police and assist in maintaining internal security, assist the community in any kind of emergency-an air raid, a fire, a flood, an epidemic and so on, organise functional unit to provide essential services such as motor transport, pioneer and engineer groups, fire brigades, nursing and first aid, operation of water and power supply in installation etc, promote communal harmony and give assistance to the administration in protecting weaker sections of the society, participate insocio-economie and welfare activities such as adult education, health and hygiene, developmental schemes and such other tasks as are deemed useful. For the constitution of the Jharkhand State Home Guards for aforesaid purposes is the requirement of this Act.

# BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF THE STATE OF JHARKHAND IN THE FIFTY SIXTH YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA AS FOLLOWS-

### 1. Short title, extent and commencement-

- (1) This Act may be called the Jharkhand Home Guards Act, 2005.
- (2) It extends to the whole of the State of Jhark and.
- (3) The State Government may, from time to time, by notification direct that any of the provisions of this Act shall come into force in any local area on such date as may be specified in the notification and may likewise cancel or midify such notifications.

## 2. Definitions—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,

- (a) "Home Guard" means a person who is enrolled as such under this Act.
- (b) "prescribed" means prescribed by rules framed under this Act.

#### 3. Constitution of Home Guards-

- (1) The State Government shall conditute in such manner as may be prescribed for each of the areas specified in a notification under sub-section(3) of section 1, Home Guards who shall discharge such functions in relation to the protection of persons the security of property of public safety in any area within the State of Jharkhand as may be assigned to them in accordance with the provisions of this Act and the rules made there under.
- (2) The Home Guards in the State of Jharkhand shall, for the purposes of this Act, be deemed to be a single force and the members thereof shall be formally enrolled and such force shall consist of such number of officers and men, and their qualifications and conditions of training and service shall be such as prescribed.
- (3) A Home Guard shall on enrolment, make a declaration in the form specified in the First Schedule and receive a certificate of enrolment in the form specified in the Second Schedule, under the scal and signature of prescribed authority by virtue of which the person holding such certificate shall be vested with the powers and privileges of a Home Guard
- 4. Calling out Home Guards—The Deputy Commissioner having jurisdiction over any area in which this Act is in force may, by an order made in such manner as may be prescribed, call out any Home Guard for the discharge of any duty assigned to the Home Guard in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.
- 5. Control by officers of Police Force-A Home Guard when called out under section-4 in auxiliary to the police force, shall be under the control and superintendence of the officers of the police force in such manner and to such extent as may be prescribed.

#### 6. Power and protection of Home Guards-

- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made there under, a Home Guard when called out under section-4 in auxiliary to the police force shall have the same powers, privileges and protection as an officer of police appointed under any er actment for the time being in force.
- (2) No prosecution shall be instituted against a Home Guard in respect of anything done or purporting to be done by him in the discharge of his druy as a Home Guard, except with the previous sanction of the Deputy Commissioner/District Magistrate having jurisdiction over the area in which the Home Guard has been raised.
- 7. Control over Home Guards—The general superintendence, direction and control of the Home Guads constituted for any area, shall be exercised by the Deputy Commissioner/District Magistrate

G o c

as

Gi ur

C

R.

C

c

धारखण्ड गजट (असाधारण), बुधवार 25 जनवरी, 2006

assisted by the District Commandant Homeguards having jurisdiction over the area in which the Home Guards have been raised. The District Commandant Home Guards will execute above responsibilities under the supervision of prescribed authority for specific purpose under the general supervision of the Commandant General, Home guards of the State.

8. Period of service and discharge--

(1) Subject to any rules made in this behalf, a Home Guard shall be required to serve the State Government for a period of four years (including the period spent in training) and shall be liable to be called out for duty at any time but not beyond the age of 54 (fifty four) years.

(2) Every Home Guard shall be entitled to receive his discharge from the Home Guards on the expiration of the period specified in sub-section (1); but any such person may before he becomes so

entitled be discharged by such authority and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) A Home Guard shall, within ten days of his discharge under sub-section (2), surrender the certificate of enrolment granted to him under sub-section (3) of section-3 to the office of the District Commandant of Home Guards.

#### 9. Penalties-

(1) If a Home Guard-

(a) fails to report himself when called out for duty under section-4, or

(b) without sufficient excuse neglects or refuses to obey any lawful order or direction given to him for the performance of his duties or fails to discharge his functions as a member of the Home Guards while on duty, or

(c) deserts his duty, or

(d) is guilty of cowardice or offers any unwarrantable personal violence to any person in his

- (e) fails within ten days to surrender his certificate of enrolment granted under sub-section(3) of section-3, he shall on conviction be punsihable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hunbdred rupees or with both.
- (2) An offence punishable under sub-section(1) shall be cognizable.
- 10. Uniforms--A Home Guard shall wear such uniform as may be prescribed.
- 11. Home Guard to be a public servant—A Home Guard acting in the discharge of his functions under this Acts shall be deemed to be a public servant within the meaning of section—21 of the Indian Penal Code (XLV of 1860).

12. Power to make rules--

(1) The State Government may, subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may

provide for or regulate all or any of the following matters namely:--

(a) all matters which are required by this Act to be prescribed,

(b) the organization, appointment qualifications, conditions of service, functions, discipline, arms accouragements, clothing and uniform of the Home Guards and the manner in which they may be called out for service or required to undergo training, and

(c) the exercise by a Home Guard of any of the powers exercisable under sention-6.

13. Standing orders—The Commandant General of the Home Guards may, however, issue standing orders, on subjects governing day to day administration of the Home Guards force.

14. Savings--

Any action taken in exercise of the powers conferred by or under the "Bihar Home Guards Act. 1947" in the light of section 84 of the Bihar Reorganisation Act, 2000, shall be deemed, as if this Act were inforce on the date on which such thing was done or action taken.

> झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, राम बिलाश गुप्ता, सचिव-सह-विधि परामशी, विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(See Section(3) Clause 3)	
vesident of	Total Control of the
declare and affirm that I will truly serve as a member of the Home Guards for a period of twelve month from the date of enrolment including the period spent over training (which period may be extended at the discretion of the State Government) and that I further undertake to serve as a member of the Home Guards at any time or at any place during a further period of three years if I am called out for duty during such period. I will do to the best of my skill and knowledge and discharge the duties of a member of the Home guards.	
Home guards.	the duties of a member of the
Altropolistica (Company)	
	Signature.
	Address
	THE SECOND SCEHDULE  {See Section 3(3)}  Form of certificate of enrolment
Name	son of
n member of Home Gua	ds uncr section 3(3) of the Jharkhand Home Guards Act, 2005. When lawfully
Pace	Date of appointment
Date	
	Signature and seal of the prescribed authority

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । झारखण्ड गजट (असाधारण) ४३-३(७+४००--शनि गुण्डा ।